– अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नांगल राजावतान

रामनारायण.........................बनाम.........................राज0 सरकार

किस्म मुकदमा.....नामान्तरकरण अपील   न0......6.........सन्....................................2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2019	अधिवक्ता अपीलान्ट श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा एड0 उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्ट को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 15.05.2019 को पेश हो।	
15/5/19	पत्रावली पेश हुई। P.O. [illegible] [illegible] गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 27/5/19 को पेश हो।	
27/5/19	पत्रावली पेश हुई। समयाभाव/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण इस प्रकरण में कार्यवाही नही हो सकी। पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 12/6/19 को पेश हो।	
12/6/19	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पो० उपस्थित। अपील के संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत [illegible] के प्रस्ताव दिनांक 11/10/77 बाबत नामान्तरकरण सं. 35 बाबत ग्राम [illegible] अपीलान्ट के	

पिता जान्सी के फौत होने पर विरासत का तर्का किया गया, जिसमें अपीलान्ट का नाम जान्सी को पुत्र जंगली अंकित कर दिया, जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामनारायण है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर अपीलान्ट के नाम में दुरुस्ती कर जंगली पुत्र जान्सी के स्थान पर रामनारायण पुत्र जान्सी दुरुस्त करने की इस्तदुआ की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट की तलबी की गई। बहस उभय पक्षकारान की सुनी गई।

अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो में अंकित कथनों की पुष्टि में ग्राम पंचायत झालावास का लिखित प्रमाण पत्र दिनांक 24/3/2019, सत्यापित नामान्तरकरण, जमाबन्दी, आधार कार्ड की प्रति एवं अन्य चार व्यक्तियों के शपथ-पत्र पेश किये थे। सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दिनांक 24/3/2019 में अंकित किया है कि जंगली मीणा उर्फ रामनारायण मीणा झालावास तहसील मंगल राजगढ़ का निवासी है इसको दोनों नामों से जाना जाता है जबकि इसका शुद्ध नाम रामनारायण पुत्र जान्सीराम मीणा मीणा है। जंगली व रामनारायण नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रस्तुत शपथ-पत्रों द्वारा भी जंगली व रामनारायण एक ही व्यक्ति होना एवं अपीलान्ट का सही नाम रामनारायण होना व्यक्त किया गया है।

अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ-पत्रों एवं ग्राम पंचायत झालावास की रिपोर्ट अनुसार यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम रामनारायण पुत्र जान्सी है। जंगली पुत्र जान्सी के स्थान पर रामनारायण पुत्र जान्सी की दुरुस्ती किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील नामा 6/2019 रामनारायण v/s राज. सरकार	
	माना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। ग्राम भगलाव के नामा० नं. 35 निर्णय दिनांक 11/10/77 द्वारा ग्रा० पं. भगलावास में अपीलार्थी का नाम जंगली पुत्र जस्सी के स्थान पर रामनारायण पुत्र जस्सी दुरूस्त करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार नांगल राजावतान को पालना हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल (?) रिकार्ड भण्डार हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नांगल राजावतान (दौसा)	